

भाग ४ (ग)

अन्तिम नियम

नगर तथा ग्राम निवेश विभाग

भोपाल, दिनांक 11 दिसम्बर 1975.

क्र. 3881-तैतीस-75.—जल(प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (क्रमांक 6 सन् 1974) की धारा 64 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, राज्य जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण मण्डल से परामर्श करने के पश्चात्, एतद्द्वारा, निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात्:—

नियम

१. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ:—(एक) ये नियम जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) (सम्मति) मध्यप्रदेश नियम, 1975 कहलायेंगे.

(दो) ये नियम “मध्यप्रदेश राजपत्र” में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे.

२. परिभाषाएं.—इन नियमों में, जब तक प्रसंग से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

- (क) “अधिनियम” से अभिप्रेत है जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (क्रमांक 6 सन् 1974);
- (ख) “मण्डल” से अभिप्रेत है, धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन गठित मध्यप्रदेश राज्य जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण मण्डल;
- (ग) “धारा” से अभिप्रेत है, अधिनियम की धारा;
- (घ) “अध्यक्ष” से अभिप्रेत है, मण्डल का अध्यक्ष;
- (ङ) “सदस्य-सचिव” से अभिप्रेत है मण्डल के सदस्य-सचिव;
- (च) “सदस्य” से अभिप्रेत है, मण्डल का शासन द्वारा नाम निर्दिष्ट किया गया सदस्य;
- (छ) “सम्मति” से अभिप्रेत है, निश्चाय के निस्सारण के लिए मण्डल के प्राधिकारी की मंजूरी;
- (ज) “सम्मति फीस” से अभिप्रेत है, मण्डल द्वारा सम्मति दिये जाने के लिए मण्डल द्वारा प्रभारित फीस;
- (झ) “विनिधान” से अभिप्रेत है/पूँजीगत निर्माण कार्य, जिसमें भूमि, मशीनें तथा उपकरण सम्मिलित है, पर उद्योग द्वारा (विनिहित में पूँजी;
- (ञ) “अनुज्ञप्ति फीस” से अभिप्रेत है किसी सरिता या कुएं मल में या व्यापार निस्त्राव के निस्सारण के लिए मण्डल को प्रति वर्ष सन्दत्त की जाने वाली लाइसेंस फीस.

३. प्रक्रिया—कोई भी व्यक्ति, जो किसी सरिता या कुएं में मल या व्यापार निस्त्राव का निस्सारण करता हो, सचिव, मध्यप्रदेश, राज्य जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण मण्डल, भोपाल को इन नियमों से संलग्न राखू में आवेदन करेगा.

४. मण्डल द्वारा निवारण तथा नियंत्रण.—(एक) विद्यमान उद्योगों के मामले में, व्यक्ति अपने परिसर, जहाँ निस्स्राव उत्पन्न होता हो, की समस्त विशिष्टता देखे हुए आवेदन प्रस्तुत करेगा/करेंगे। अधिनियम मण्डल के गठन से 3 माह के भीतर ऐसा आवेदन प्रस्तुत करना अनुध्यात है। इस समय सीमा में मण्डल द्वारा आवश्यकतानुसार समय-समय पर वृद्धि की जा सकेगी।

(दो) विद्यमान सुविधाओं में सुधार के मामले में, व्यक्ति मण्डल की सम्मति के लिए आवेदन करेगा/करेंगे, जो नया आवेदन माना जायेगा।

(तीन) नये निस्सारणों के मामले में व्यक्ति अपना आवेदन, व्यवस्था किए जाने वाले साधनों तथा अपशिष्ट-शोधन सुविधाओं की डिजाईनों के साथ-साथ सम्मति प्रारूपों में उपदर्शित विनिर्माण प्रक्रियाओं आदि की विशिष्टता देते हुए प्रस्तुत/करेंगे/करेंगे।

(चार) आवेदन प्रारूप फीस के रूप में 5 रु. का संदाय कर आवेदन प्रारूप मध्यप्रदेश राज्य जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण मण्डल, भोपाल के कार्यालय से अभिप्राप्त किय जा सकेंगे।

(पांच) आवेदन प्रारूप के साथ निम्नलिखित अनुसूची के अनुसार विहित सम्मति फीस सम्यकरूप से दी जानी चाहिए:—

निम्नलिखित विनिर्धान करने वाले उद्योग:—

	रुपये
(१) 5 करोड़ रु. से अधिक	15,000
(२) 1 करोड़ रु. से अधिक, किन्तु 5 करोड़ से कम ..	7,500
(३) 50 लाख रु. से अधिक, किन्तु 1 करोड़ रु. से कम ..	3,500
(४) 10 लाख रु. से अधिक, किन्तु 50 लाख रु. से कम ..	1,000
(५) 1 लाख रु. से अधिक, किन्तु 10 लाख रु. से कम ..	500
(६) न्यूनतम फीस	500

(छः) मण्डल को आवेदन-पत्र प्राप्त हो जाने पर, मण्डल को प्रस्तावित स्थल या विद्यमान स्थल का परीक्षण करने तथा ऐसे कोई व्यौरे प्रस्तुत करने के लिए कहने का अधिकार होगा, जो आवेदन-पत्र में विस्तार से न दिये गये हों।

(सात) वह तारीख, जिसको कि आवेदन-पत्र से सम्बन्धित संपूर्ण जानकारी मण्डल को प्राप्त हो जाये, धारा २५ की उपधारा (७) के प्रयोजनार्थ ४ माह की कालावधि की गणना के लिए आवेदन-पत्र प्राप्त होने की तारीख होगी।

(आठ) मण्डल द्वारा परीक्षण कर लिए जाने पर, आवेदक को इन नियमों से संलग्न अनुसूची में दिये गये प्रारूप में शर्त या बिना किसी शर्त के सम्मति प्रदान की जायेगी।

(नौ) आवेदक, मण्डल द्वारा दी गई सम्मति के अनुरूप कार्य करेगा तथा उसमें दिये गये अनुदेशों का पालन करेगा।

(दस) यदि मण्डल की सम्मति में अपेक्षा की गई हो, तो आवेदक नियतकालिक जानकारी तथा अन्य रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

(ग्यारह) जहाँ सम्मति, इस शर्त के अधीन, दी जाये कि आवेदक द्वारा निस्स्राव का मानक के अनुरूप शोधन करने के लिए उपाय किये जायेंगे, तो आवेदक नियत समय के भीतर ऐसी अपेक्षाओं को पूरा करेगा।

अनुसूची

[नियम ४ (आठ) देखिये]

कार्यालय मध्यप्रदेश राज्य जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण मण्डल, ८७, मालवीय नगर,
भोपाल-३.

सम्मति प्ररूप

क्रमांक—जप्रनिम (जल प्रदूषण नियंत्रण मण्डल) भोपाल, तारीख

विषय:—जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, १९७४ की धारा २५/२६ के अधीन निस्सार
के निस्सारण के लिए.....को सम्मति.

निर्देश.....का

आवेदन-पत्र क्र.

तारीख (समाप्ति तारीख)

जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, १९७४, जिसे इसमें इसके पश्चात् अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, के अधीन निस्सार को प्राकृतिक जल सारणियों में निस्सारित करने की सम्मति के लिए उक्त आवेदन-पत्र के निर्देश मेंको, राज्य मण्डल द्वारा उनके परिसर से उत्पन्न होने वाले औद्योगिक तथा अन्य निस्सारों को, परिशिष्ट में यथाउल्लिखित सामान्य तथा विशेष शर्तों के अनुसार, स्थानीय सरिता/नदी/कुएं में निस्सारित करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है.

२. यह सम्मति तारीखसे प्रारंभ होकर केवल १२ महीनों की कालावधि के लिए विधिमान्य होगी.

तारीख माह सन् १९

मध्यप्रदेश राज्य जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण
मंडल के लिए तथा उसकी और से,

मुहर

सदस्य—सचिव.

सहपत्र—परिशिष्ट

उपाबन्ध

सर्वश्री को जारी किए गए निर्देश-पत्र का सहपत्र, देखिए
सम्मति क्र. जप्रनिम. ७५ तारीख

अ. सामान्य शर्तें :—

१. समस्त प्राधिकृत निस्सारणों इस सम्मति के निबन्धनों तथा शर्तों से संगत होंगे। सुविधा विस्तार, उत्पादन वृद्धियाँ या प्रक्रिया उपान्तरण, जिसके परिणामस्वरूप प्रदूषकों का नए या बड़े हुए निस्सारण की सूचना एक नया सम्मति आवेदन पत्र प्रस्तुत करते हुए दी जानी चाहिए अथवा यदि ऐसे नए या बड़े हुए निस्सारण से, इस सम्मति में विनिर्दिष्ट निस्त्राव परिसीमाओं का अतिक्रमण नहीं होता हो, तो मण्डल को प्रदूषकों के ऐसे नए या बड़े हुए निस्सारणों के व्योरे प्रस्तुत करते हुए दी जानी चाहिए, जिस मामले में इसमें अभिज्ञात तथा परिसीमित न किए गए किन्हीं भी प्रदूषकों के लिए निस्त्राव परिसीमाओं को विनिर्दिष्ट करने के लिए सम्मति को उपान्तरित किया जा सकेगा। इस सम्मति द्वारा अभिज्ञात तथा प्राधिकृत की गई बारी से अधिकवार अथवा अभिज्ञात तथा प्राधिकृत स्तर से अधिक किसी प्रदूषक का निस्सारण इस सम्मति के निबन्धनों तथा शर्तों का अतिक्रमण होगा।

२. सूचना देने तथा सुनवाई के लिए अवसर प्रदान करने के पश्चात् मंडल द्वारा इस सम्मति को उसकी अवधि के दौरान निम्नलिखित कारणों से, किन्तु उससे सीमित न रहते हुए पूर्णतः अथवा अंशतः उपान्तरित, निलम्बित अथवा प्रतिसंहृत किया जा सकेगा :—

- (क) इस सम्मति के किन्हीं भी निबन्धनों तथा शर्तों का अतिक्रमण;
- (ख) इस सम्मति को दुर्धर्मपदेशन द्वारा अभिप्राप्त करना अथवा सभी संगत तथ्यों को पूर्णतः प्रकट न करना;
- (ग) किसी भी ऐसी शर्त में, जिसमें प्राधिकृत निस्सारण की अस्थायी या अस्थायी कमी अपेक्षित हो, परिवर्तन करना अथवा उसका निरसन करना।

३. उपयुक्त पैरा (२) के होते हुए भी, यदि इसमें प्राधिकृत निस्सारण में विद्यमान विषाक्त प्रदूषक (टाक्सिक पोल्यूटेंट) के लिए, मानक अथवा प्रतिषेध विषाक्त निस्त्राव (जिसमें ऐसे मानक अथवा प्रतिरोध निस्त्राव में विनिर्दिष्ट अनुपालन की कोई भी अनुसूची सम्मिलित है) सिद्ध हो जाता है तथा यदि ऐसा मानक या प्रतिषेध इस सम्मति में ऐसे प्रदूषक पर लागू होने वाली किसी भी परिसीमा से कहीं अधिक कठोर हो, तो मानक अथवा प्रतिषेध विषाक्त प्रदूषकों के अनुसार, जिस पर मण्डल विचार करे, सम्मतियों को पुनरीक्षित या उपान्तरित किया जाएगा तथा आवेदक को तदनुसार सूचित किया जाएगा।

४. आवेदक, मध्यप्रदेश राज्य जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण मंडल के कर्मचारियों तथा/ या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधियों को परिचय पत्र प्रस्तुत करने पर :—

- (क) आवेदक के परिसर में जहाँ पर कोई निस्त्राव स्रोत स्थित हो या जिसमें इस सम्मति के निबन्धनों तथा शर्तों के अधीन किन्हीं अभिलेखों को रखने की अपेक्षा की गई हो, प्रवेश करने देगा,
- (ख) इस सम्मति के निबन्धन तथा शर्तों के अधीन रखे जाने के लिए अपेक्षित अभिलेखों को देखने तथा युक्तियुक्त समयों पर उनकी नकल करने देगा;

(ग) इस सम्मति में अपेक्षित, किसी भी मानीटरिंग उपस्कर अथवा मानीटरिंग रीति का युक्तियुक्त समय पर निरीक्षण करने देगा :

(घ) प्रदूषकों के किसी भी निस्सारण का युक्तियुक्त समयों पर नमूना लेने देगा.

५. आवेदक, इस सम्मति के निबन्धनों तथा शर्तों का अनुपालन कराने के लिए उसके द्वारा प्रति-ष्ठापित या प्रयुक्त सभी शोधन अथवा नियन्त्रण सुविधाओं अथवा पद्धतियों को सभी समयों पर अच्छी चालू हालत में रखेगा तथा उनका प्रचालन यथासंभव दक्षतापूर्वक करेगा.

६. इस सम्मति का जारी किया जाना किसी वास्तविक अथवा वैयक्तिक सम्मति का सम्मति अधिकार अथवा कोई अन्य विशेषाधिकार प्रदान नहीं करता और न ही वह प्राइवेट सम्मति को क्षति पहुंचाने अथवा वैयक्तिक अधिकारों में किसी प्रकार के हस्तक्षेप करने अथवा किसी केन्द्रीय, राज्यनीय या स्थानीय विधियों अथवा विनियमों के अतिरिक्त का प्राधिकार प्रदान करता है.

७. यह सम्मति किसी प्राकृतिक जल सरणी में किन्हीं भौतिक संरचनाओं अथवा सुविधाओं का निर्माण करना अथवा किसी निर्माण कार्य को हाथ में लेना प्राधिकृत अथवा अनुमोदित नहीं करती.

८. इसमें अनुज्ञात निस्सारण पर लागू विनिर्दिष्ट निस्साव परिसीमाएं तथा अन्य प्रदूषण नियंत्रण विनिर्दिष्ट शर्तों में नीचे उपवर्णित किए गए हैं. स्वमानीटरिंग तथा रिपोर्टिंग अपेक्षाएं भी नीचे उपवर्णित हैं. जब तक अन्यथा विनिर्दिष्ट न किया जाए, आवेदक सभी रिपोर्ट की मूल प्रतियों की दो प्रतिलिपियां मध्यप्रदेश राज्य जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण मंडल को प्रस्तुत करेगा. अवधारित की गई गोपनीय आधार सामग्री के सिवाय ऐसी सभी रिपोर्ट मध्यप्रदेश राज्य जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण मंडल के कार्यालयों में सार्वजनिक निरीक्षण हेतु उपलब्ध रहेंगे. ऐसी किसी भी रिपोर्ट में जानबूझकर कोई मिथ्या कथन करने पर अधिनियम की धारा ४२ में तथा उपबंधित दण्डक शास्तियों अधिरोपित की जा सकेंगी.

आ. विशेष शर्तें :—

१. प्रारंभिक निस्साव परिसीमाएं.—इस सम्मति के प्रभावी होने की तारीख से तक की कालावधि के दौरान दहानों से किया जाने वाला निस्सारण आवेदक द्वारा चीने विनिर्दिष्ट किए अनुसार परिसीमित तथा मानीटरित किया जाएगा :—

(क) आवेदक द्वारा निम्नलिखित को तथा विनिर्दिष्ट रीति से परिसीमित तथा मानीटरित किया जाएगा :—

मानीटरिंग की अपेक्षाएं

निस्साव के लक्षण

आवृत्ति माप

नमूने का प्रकार

(१)

(२)

(३)

इस उपखण्ड के प्रयोजनार्थ, दैनिक औसत निस्सारण, कलेंडर माह के दौरान किये गये भारशः कुल निस्सारण को माह के उन दिनों की संख्या से भाग देकर, जिसमें उत्पादन या वाणिज्यिक सुविधायें प्रवर्तित थी, निकाला जायेगा। इस उपखण्ड के प्रयोजन के लिये दैनिक अधिकतम निस्सारण से तात्पर्य किसी भी कलेंडर दिन के दौरान किये गये भारशः कुल निस्सारण से है :—

(ख) पी. एच. ५.५ से कम तथा ६.० से अधिक नहीं होगा।

२. अन्तिम निस्त्राव परिसीमायें.—तारीख से प्रारंभ होकर इस सम्मति की समाप्ति की तारीख तक चलने वाली कालावधि के दौरान, दहानों से किये जाने वाले निस्सारण को आवेदक द्वारा नीचे विनिर्दिष्ट किये गये अनुसार परिसीमित तथा मानीटरित किया जायेगा :—

(क) निम्नलिखित बातें आवेदक द्वारा यथा विनिर्दिष्ट सीमित तथा मानीटर की जायेगी

निस्त्राव लक्षण	मानीटरिंग अपेक्षाएँ	नमूना (प्रकार)
	आवृत्ति माप	

इसके अतिरिक्त, दहानों को निम्नानुसार मानीटर किया जायेगा :—

(एक) प्रवाह, ताममान तथा कुल ठोस पदार्थ—
प्रतिमाह एक.

ग्रेव नमूने, उद्धर्ष-प्रवाह ग्राही जलाशय के ऊपर अधिकतम निस्सारण तापमान, भारतीय मानक संस्था के मानक ४०° फै. के अनुसार होगा।

(भा. मा. सं. के अनुसार एक समान ४०° फै. तापमान) प्रत्येक दहाने पर इस उप खण्ड के प्रयोजनों के लिये निस्सारण दैनिक औसत कलेंडर माह के दौरान किये गये भारशः कुल निस्सारण को माह के उन दिनों की संख्या से जब उत्पादन या वाणिज्यिक सुविधा प्रवर्तित रही हो, भाग देकर निकाला जाता है। इस उप खण्ड के प्रयोजन के लिये दैनिक अधिकतम निस्सारण से अभिप्रेत है, किसी कलेंडर दिन के दौरान किया गया कुल भारशः निस्सारण.

(ख) दहानों के लिये पी. एच. ५.५ से कम या ६.० से अधिक नहीं होगा. नमूने मासिक ग्रेव नमूनों के रूप में लिये जाते हैं.

३. निस्त्राव सीमाओं के पालन की अनुसूची.—आवेदक, दहानों से किये जाने वाले निस्सारण के लिये ऊपर विनिर्दिष्ट निस्त्राव सीमाओं का पालन निम्नलिखित अनुसूची के अनुसार करायेंगा :—

(एक) प्रगति रिपोर्ट.

(दो) तक अन्तिम आयोजनाओं का पूरा किया जाना.

(तीन) संविदा देना या वित्त व्यवस्था की अन्य वचनबद्धता.

(चार) तक से निर्माण का प्रारंभ किया जाना.

(पांच) संनिर्माण प्रगति की रिपोर्ट.

(छः) तक संनिर्माण का पूरा किया जाना.

(सात) तक प्रचालनात्मक स्तर की प्राप्ति.

(ख) आवेदक, अपेक्षित प्रगति रिपोर्ट या जहां ऊपर (क) में विनिर्दिष्ट किसी कार्यवाही का किसी निश्चित तारीख तक किया जाना अपेक्षित हो, वहां उपर्युक्त प्रत्येक अनुसूचित तारीख तक के पालन या अपालन की लिखित सूचना, सम्मति देने वाले प्राधिकारी को प्रत्येक व्यतीत तारीख के अधिक से अधिक १४ दिन के भीतर प्रस्तुत करेगा. अपालन की प्रत्येक सूचना में निम्नलिखित जानकारी सम्मिलित होगी:—

- (१) अपालन का संक्षिप्त वर्णन.
- (२) और अधिक विलम्ब के बिना व्यपगत अनुसूचित अपेक्षा का पालन करने के लिये आवेदक द्वारा की गई या प्रस्तावित किसी भी कार्यवाही का वर्णन.
- (३) ऐसे किन्हीं भी कारणों का वर्णन जो अपालन को स्पष्ट या हल्का करते हों, तथा
- (४) उस तारीख का अनुमान, जब तक आवेदक व्यपगत अनुसूचित अपेक्षा का पालन कर देगा तथा ऐसी संभावना का निर्धारण कि आवेदक आगामी अनुसूचित अपेक्षा की पूर्ति समय पर करेगा.

४. मानीटरिंग आधार सामग्री का संकलन.—(क) ऊपर विनिर्दिष्ट मानीटरिंग अपेक्षाओं की पूर्ति हेतु लिये गये नमूने तथा नाम, मानीटरित निस्सारण की मात्रा तथा स्वरूप का प्रतिनिधान करेंगे.

(ख) प्रदूषकों के विश्लेषण के लिये परीक्षण-प्रक्रिया को स्थापित करने वाले मार्गदर्शी सिद्धांत के प्रख्यापन के बाद की ऊपर विनिर्दिष्ट मानीटरिंग अपेक्षाओं की पूर्ति के लिये उपयोग में लायी गई सभी प्रतिचयन तथा वैश्लेषिक रीतियां, ऐसे मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुरूप होगी. जब तक अन्यथा विनिर्दिष्ट न किया जाये, तब तक प्रतिचयन तथा वैश्लेषिक रीतियां, भारतीय मानक विशिष्टियों के नवीनतम संस्करण के अनुरूप होंगी और जहां वह विनिर्दिष्ट न हो, वहां स्टैण्डर्ड मेथड्स फार दि इक्जामिनेशन आफ वाटर एण्ड वेस्ट वाटर, संस्करण, अमेरिकन पब्लिक हेल्थ एसोसिएशन, न्यूयार्क, यू. एस. ए., में दिये गये मार्गदर्शी सिद्धांतों का उपयोग किया जायेगा.

(ग) आवेदक ऊपर विनिर्दिष्ट मासिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये निम्नलिखित स्थानों से नमूने तथा माप लेगा :—

नमूने लेने के स्थान

- (एक) अपशिष्ट के दहाने,
- (दो) नदी के अनुप्रवाह का झील में संगम से १०० मीटर.

५. मानीटरिंग गतिविधियों का अभिलेखन तथा परिणाम.—(क) आवेदक, इस सम्मति द्वारा अपेक्षित मानीटरिंग क्रियाकलापों से उद्भूत सभी जानकारी को अभिलिखित करेगा तथा बनाये रखेगा.

(ख) आवेदक, इस सम्मति की अपेक्षाओं के अनुसरण में लिये गये प्रत्येक माप या नमूने के संबंध में निम्नलिखित जानकारी अभिलिखित करेगा :—

१. नमूना लेने की तारीख, ठीक-ठीक स्थान तथा समय;
२. वे तारीखें, जब विश्लेषण किये गये;
३. विश्लेषण किसने किया;
४. उपयोग में लायी गई वैश्लेषिक तकनीक या पद्धतियां; तथा

(५) सभी अपेक्षित विश्लेषणों के परिणाम.

(ग) यदि आवेदक इस सम्मति की अपेक्षानुसार किसी प्रदूषक को बारबार मानीटर करे, तो वह गणना तथा मूल्यांकन रिपोर्ट में ऐसी मानीटरिंग के परिणाम सम्मिलित करेगा, जिनकी अपेक्षा मंडल द्वारा विहित निस्सारण मानीटरिंग रिपोर्ट में की गई हो. ऐसी बड़ी हुई आवृत्ति निस्सारण मानीटरिंग रिपोर्ट प्ररूप पर दर्शाई जायेगी.

(घ) आवेदक कम से कम ३ वर्ष तक, मानीटरिंग क्रिया कलापों तथा परिणामों के सभी अभिलेख रखेगा. जिनमें अंश शोधन के तथा यंत्र समुच्चय के अनुरक्षण तथा निरन्तर मानीटरिंग यंत्रिकरण से उद्भूत मूल पट्टी चार्ट के सभी अभिलेख सम्मिलित होंगे. आवेदक द्वारा किये गये प्रदूषकों के निस्सारण संबंधी किसी अनिर्णीत मुकदमेबाजी के दौरान, या केंद्रीय या राज्य मंडल द्वारा अनुरोध किये जाने पर अभिलेख रखने की यह अवधि बढ़ा दी जायेगी.

६. मानीटरिंग परिणामों की रिपोर्ट देना :—(क) इस सम्मति द्वारा अपेक्षित मानीटरिंग संबंधी जानकारी का संक्षेप तैयार किया जायगा और उसकी सूचना एक निस्सारण मानीटरिंग रिपोर्ट प्ररूप सम्यक् रूप से भरकर तथा हस्ताक्षरित कर मंडल के कार्यालय को निम्नलिखित पते पर भेजी जायेगी.

मध्यप्रदेश राज्य जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण मंडल, ८७, मालवीय नगर, भोपाल-३,
(पिन कोड नं. ४६२००३).

(ख) प्रस्तुत की गई प्रत्येक निस्सारण मानीटरिंग रिपोर्ट पर निम्नलिखित के हस्ताक्षर होंगे.—

(१) यदि निगम द्वारा प्रस्तुत किया गया हो, तो मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा जो कम से कम उपाध्यक्ष के स्तर का हो, या उसके द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा यदि ऐसा प्रतिनिधि उस सुविधा के, जिससे निस्सारण मानीटरिंग रिपोर्ट में वर्णित निस्सारण निकलता हो, संपूर्ण प्रचालन के लिये उत्तरदायी हो.

(२) यदि किसी साझेदारी द्वारा प्रस्तुत किया गया हो, तो किसी सामान्य साझेदार द्वारा.

(३) यदि एकल स्वामी द्वारा प्रस्तुत किया गया हो, तो स्वामी द्वारा.

(४) यदि किसी नगरपालिका, राज्य या केंद्रीय शासन या अन्य लोक उद्यम द्वारा प्रस्तुत किया गया हो, तो मुख्य कार्यपालन अधिकारी, क्रम विन्यास से निर्वाचित अधिकारी कमान आफिसर या सम्यक् रूप से प्राधिकृत अन्य कर्मचारी द्वारा

(ग) निस्सारण मानीटरिंग प्ररूप पर प्रस्तुत सभी जानकारी पिछले तीन कैलेण्डर माहों के दौरान किये गये मापों तथा प्रतिचयन (सेंपलिंग) पर आधारित होगी. प्रथम निस्सारण मानीटरिंग रिपोर्ट निर्गमन से ६० दिन बाद समाप्त होने वाली कालावाही के संबंध में प्रस्तुत किया जायगा. उसके पश्चात् प्रतिवेदन भेजने की अवधि प्रत्येक माह की अंतिम तारीख को समाप्त होगी. आवेदक प्रत्येक पूर्ण हो चुकी अवधि के पश्चात् आनेवाले माह की अधिक से अधिक पूर्व अंकित २८ तारीख तक निस्सारण मानीटरिंग रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा.

७. हानिकर मात्रा में तेल तथा परिसंकटमय पदार्थों के निस्सारण की सीमा.—आवेदक विनियमों में परिसंकटमय के रूप में परिभाषित मात्रा में तेल का निस्सारण नहीं करेगा। इसके अतिरिक्त आवेदक मंडल द्वारा प्रख्यापित विनियमों में हानिकर के रूप में परिभाषित मात्रा में परिसंकटमय पदार्थों का निस्सारण प्राकृतिक जल सारिणियों में नहीं करेगा। इस सम्मति में दी गई किसी भी बात से यह नहीं समझा जायेगा कि संस्था के विरुद्ध कोई वैधिक कार्यवाही संस्थित नहीं की जायेगी और न ही आवेदक खंडों के अध्ययीन उसके जो दायित्व तथा उत्तरदायित्व हों, या हो सकते हों। या जो शस्तियां अधिरोपित की गई हों, या की जा सकती हों, उनसे मुक्त होगा।

८. दृश्य प्लवमान ठोस पदार्थों तथा फेन की परिसीमा.—इस सम्मति की जारी किये जाने की तारीख से प्रारंभ होकर उसके अवसान की तारीख तक की कालावधि के दौरान आवेदक प्लवमान ठोस पदार्थों या दृश्य फेन का निस्सारण नहीं करेगा।

९. संग्रहीत ठोस पदार्थों का व्ययन.—(क) अन्तगृहीत जल शोधन:—ठोस पदार्थों कीच (स्लजेज), कूड़ा-कंकट, रेत, गाद (सिल्ट) या अन्य प्रदूषकों, जो आवेदक द्वारा उपयोग किये जाने के पूर्व अन्तगृहीत या प्रदाय जल से पृथक् किये गये हों, या उसके शोधन के कारण उत्पन्न हुये हों, की व्यवस्था ऐसी रीति से की जायेगी, जिससे कि ऐसी सामग्रियों से कोई प्रदूषक ऐसे किसी जल में प्रवेश न कर पायें। अन्तगृहीत जल के छानने या उसके शोधन के फलस्वरूप संग्रहीत या पकड़ी गई कोई भी जीवित मछली कवच मछली या अन्य प्राणी जलाशय में वापस डाल दिया जायगा।

(ख) अपशिष्ट जल शोधन:—अपशिष्ट जल के शोधन या नियंत्रण के कारण अलग किए गये या उद्भूत हुए ठोस पदार्थों (साबुडस), कीच (स्लेजेज), निस्सन्दक (निस्संदक) प्रतिधावन (बैकबाश) या अन्य प्रदूषकों की व्यवस्था ऐसी रीति से की जायेगी, जिससे कि ऐसी सामग्रियों से कोई प्रदूषक प्राकृतिक जल में प्रवेश न कर जायें।

१०. निस्त्राव परिसीमाओं का अपालन.—(क) यदि किसी कारण से आवेदक, इस संपत्ति में विनिर्दिष्ट किसी दैनिक अधिकतम निस्त्राव परिसीमाओं का पालन न करता हो या पालन करने में असमर्थ रहेगा, तो आवेदक इसकी सूचना संपत्ति जारी करने वाले प्राधिकारी को या उसके समनुशिली को तत्काल फोन क्रमांक भापाल ६२१४३ या ६२१६७ पर देगा और ऐसी अधिसूचना के ५ दिन के भीतर लिखित रूप में निम्नलिखित जानकारी सम्मति जारी करने वाले प्राधिकारी को देगा:—

(क) अपालन का कारण,

(ख) पालन न करते हुए किए जा रहे निस्सारण का विवरण, जिसमें अन्तगृहीत जल पर उसका प्रभाव भी सम्मिलित है,

(ग) पूर्वानुमानित समय, जब तक अपालन की स्थिति बनी रहने की प्रत्याशा है या यदि स्थिति सुधार ली गई हो, तो अपालन की कालावधि,

(घ) निस्त्राव परिसीमा का पालन न करते हुए किए जा रहे निस्सारण को कम करने तथा निरस्त करने के लिये आवेदक द्वारा किए गए उपाय, तथा

(ङ) अपालन की स्थिति के आवर्तन को रोकने के लिए आवेदक द्वारा किये जाने वाले उपाय।

(ख) आवेदक इस सम्मति में विनिर्दिष्ट किसी निम्नाव परिसीमा के अपालन से उद्भूत होने वाले और प्राकृतिक जलाशय पर पड़ने वाले विपरीत प्रभाव को कम करने के लिये सभी उचित उपाय करेगा, जिनमें ऐसी त्वरित या अतिरिक्त मानीटरिंग भी सम्मिलित है, जो निम्नाव परिसीमा का पालन न करते हुए किए जा रहे निस्सारण के स्वरूप तथा प्रभाव को अवधारित करने के लिये आवश्यक हो।

(ग) इस सम्मति की कोई भी बात आवेदक को अपालन के कारण इस पर अधिरोप्य सिविल या दांडिक शास्तियों से मुक्त नहीं करती, भले ही ऐसा अपालन उसके नियंत्रण से परे कारणों से अर्थात् उपकरण के बिगड़ जाने, विद्युत् शक्ति के बंद हो जाने, दुर्घटना या प्राकृतिक संकट जैसे कारणों से हुआ हो।

११. बैच निस्सारण की परिसीमा:—

विशेष शर्तें:—

१२. विद्युत शक्ति के बंद हो जाने पर व्यवस्था.— आवेदक या तो—

(क) तारीख तक सम्मति जारी करने वाले प्राधिकारी को लिखित रूप से प्रमाणित करेगा कि आवेदक ने सम्मति के निबन्धनों तथा शर्तों का पालन करते रहने के लिये एक वैकल्पिक विद्युत शक्ति स्रोत की प्रतिष्ठापना या व्यवस्था कर ली है, जो आवेदक द्वारा उपयोग में लाया जा रही सभी सुविधाओं के प्रचालन के लिए पर्याप्त है, अथवा

(ख) इस सम्मति की प्रभावी तारीख से अधिक से अधिक ३० दिन के भीतर, सम्मति जारी करने वाले प्राधिकारी को लिखित रूप में यह प्रमाणित करेगा कि इस सम्मति के निबन्धनों तथा शर्तों का पालन करते रहने के लिये आवेदक द्वारा उपयोग में लाई जा रही किन्हीं भी सुविधाओं को विद्युत शक्ति की पूर्ति के एक या अधिक प्राथमिक स्रोतों के कम हो जाने, हानि हो जाने या बिगड़ जाने के पश्चात् आवेदक, इस सम्मति के निबन्धनों तथा शर्तों का पालन करते रहने के लिये उत्पादन तथा/या सभी निस्सारणों को बंद, कम या अन्य प्रकार से नियंत्रित करेगा।

१३. शोधन सुविधाओं के उप-निकास का प्रतिषेध.—इस सम्मति के निबन्धनों तथा शर्तों का पालन करते रहने के लिये आवेदक द्वारा उपयोग में लायी जा रही सुविधाओं से किए जाने वाले किसी निस्सारण का दिक्-परिवर्तन या उप निकास निम्नलिखित स्थितियों को छोड़ अन्यथा प्रतिषिद्ध है:—

(एक) जहां ऐसा करना प्राण हानि या संपत्ति को होने वाली गंभीर क्षति को रोकने के लिये अपरिहार्य हो गया हो, या

(दो) इस सम्मति के निबन्धनों तथा शर्तों के पालन के लिये आवश्यक किसी सुविधा को अत्याधिक बरसाती जल निकास या अपवाह (रनआफ) से क्षति पहुंचती हो। आवेदक, अपालन की सूचना देने की ऊपर विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार प्रत्येक ऐसे दिक्-परिवर्तन या उप निकास की अधिसूचना लिखित रूप में सम्मति जारी करने वाले प्राधिकारी को तत्काल देगा।

१४. अधिप्लावन निवारण तथा संशोधन आयोजना.—इस सम्मति की प्रभावी तारीख से १० दिन के भीतर आवेदक, इस सम्मति के अंतर्गत आने वाली सुविधा के लिए, एक अधिप्लावन निवारण संशोधन तथा प्रत्युपाय आयोजना तैयार करेगा तथा सम्मति जारी करने वाले प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा।

ऐसी आयोजना में अधिप्लावनों तथा तैल और परिसंकटमय पदार्थों के अप्राधिकृत निस्सारण के निवारण से संबंधित निम्नलिखित जानकारी तथा प्रक्रियाएं सम्मिलित होंगी.

- (क) सुविधा का प्रबंध करने के लिये उत्तरदायी व्यक्तियों, समुचित राज्य तथा केन्द्रीय प्राधिकारियों को तत्काल अधिसूचित करने के लिये उपयोग में लाई जाने वाली रिपोर्ट करने की प्रणाली का विवरण;
- (ख) अधिप्लावनों तथा अप्राधिकृत निस्सारणों के निवारण, संरोधन या शोधन के उपकरण अथवा सुविधाओं (जिसमें समग्र सुविधाएं सम्मिलित हैं) का विवरण;
- (ग) सुविधा में प्रयुक्त, संसाधित अथवा संग्रहीत समस्त तैल तथा परिसंकटमय सामग्रियों की एक सूची, जिसमें प्रत्येक सूचीबद्ध सामग्री के लिए परिसर में रखी गई सामान्य मात्रा भी सम्मिलित है,
- (घ) इस सम्मति की प्रभावी तारीख के पूर्ववर्ती ३६ महीनों की कालावधि में घटित किन्हीं भी अधिप्लावनों अथवा अप्राधिकृत निस्सारणों तथा आवेदक द्वारा अधिप्लावनों अथवा अप्राधिकृत निस्सारणों के पुनः घटित होने की संभावना को निवारित अथवा कम करने के लिए किए गए अनुवर्ती उपायों का एक संक्षिप्त विवरण; और
- (ङ) अतिरिक्त उपस्कर अथवा सुविधाओं के लिए एक कार्यान्वित अनुसूची, जो उपर्युक्त उप-पैरा (ख) के लिए अपेक्षित होती, किन्तु जो अभी तक प्रवर्तनशील नहीं है.

१५. अन्तरिम निस्साव की अपेक्षाएं.—इस सम्मति तथा निस्सारण के प्राधिकरण का अवसान मध्यरात्रि को हो जाएगा. आवेदक अवसान की तारीख के बाद निस्सारण नहीं करेगा. आवेदक मंडल द्वारा यथा अपेक्षित जानकारी, प्ररूप तथा फीस अवसान की उपर्युक्त तारीख के पूर्व १५० दिन तक न कि उसके पश्चात् प्रस्तुत करेगा.

.....
सदस्य सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य जल प्रदूषण निवारण तथा
नियंत्रण मंडल, भोपाल के प्राधिकारी से.

प्ररूप

(नियम 3 देखिये)

[जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 25/26 के अधीन सम्मति के लिये आवेदन-पत्र का प्ररूप]

(तीन प्रतियों में प्रस्तुत किया जाय)

प्रेषक:

दिनांक-

प्रति,

सदस्य सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण मण्डल,
भोपाल.

महोदय,

मैं/ हम (1) के स्वामित्व की भूमि/परिसर
में से (2) तक की कालावधि के लिये गंदे पानी / उद्योग निस्साव के
निस्सारण के लिये किसी नये या परिवर्तित निकास का उपयोग करने/ गंदे पानी / उद्योग निस्साव का

नया निस्सारण आरंभ करने के लिये या गंदे पानी/उद्योग निस्साव का निस्सारण करना जारी रखने के लिये जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (क्रमांक 6 सन् 1974) की धारा 25 धारा 26 के अधीन सम्मति के लिये आवेदन करता हूँ/ करते हैं:—

(क) निकास नालियों/ निकासी मल सुरंगी / मल शोधन संकर्मों से होकर गंदा पानी/डाबर (मुलेज) .

(ख) निकास नालियों (निकासी मल सुरंगी/ मल शोधन संकर्मों से होकर उद्योग निस्साव,

(ग) निम्नलिखित में ठोस अपशिष्ट (3)—

(एक) सरिता नदी या

(दो) सिंचाई के लिये भूमि पर, जिसका सर्वेक्षण क्रमांक है तथा जो सरिता / नदी के समीपस्थ/ की दूरी पर है, या/

(तीन) झील/ तालाब में जो सरिता / नदी के समीपस्थ/ की दूरी पर है, या

(चार) सर्वेक्षण क्रमांक के अन्तर्भूमि स्तर में जो सरिता / नदी के समीपस्थ/ की दूरी पर है, खुले अन्तःश्रवण के लिये सीधे भूमि पर, या

(पांच) के नाम से ज्ञात ज्वारीय जल या ज्वारनद मुखी जल/या

(छ) के रूप में दर्शित तट के साथ साथ/से दूर समुद्र में

2. उपबंध, परिशिष्ट, अन्य विशिष्टियाँ और रेखांक तीन प्रतियों में इससे संलग्न है.

3. मैं/हम आगे यह घोषित करता हूँ/करते हैं, कि उपाबंध, परिशिष्टों तथा रेखांकों में दी गई जानकारी मेरे/हमारे सर्वोत्तम ज्ञान के अनुसार सही है.

4. मैं/हम एतद्द्वारा निवेदन करता हूँ/ करते हैं कि निस्सारण के स्थल या मात्ता या प्ररूप में परिवर्तन होने की दशा में सम्मति के लिये नया आवेदन किया जायेगा तथा जब तक ऐसी सम्मति नहीं दी जाती तब तक कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा.

5. मैं/हम एतद्द्वारा सहमत होता हूँ/होते हैं कि मैं / हम सम्मति के नवीकरण के लिये राज्य मंडल से आवेदन, निकास / निस्सारण के लिये समस्त कालावधि की समाप्ति की तारीख से एक मास पूर्व प्रस्तुत करूँगा/ करेगें, यदि उसे तत्पश्चात् जारी रखा जाना है.

6. मैं/हम राज्य मंडल द्वारा मांग की जाने पर, एक माह के भीतर कोई भी अन्य जानकारी प्रस्तुत करने का वचन देता हूँ/ देते हैं.

भवदीय.

हस्ताक्षर:-

आवेदक का नाम

आवेदक का पता

संलग्नक.—

टिप्पणी:—जो प्रविष्टियाँ सुसंगत न हों, उन्हें काट दीजिये.

उपाबंध.

निकास/विसर्जन

विद्यमान

टिप्पणी:—जो आवेदक जान बूझ कर गलत जानकारी देगा या उससे संबंधित कोई जानकारी छिपायेगा, वह अधिनियम के अधीन दंड का दायी होगा. इस उपबंध को भरते समय जिस आवेदन का किन्हीं मदों से कोई संबंध नहीं है तो वह सुसंगत मद के सामने "संबंधित नहीं" लिखेगा.

- (1) आवेदक का पूरा नाम तथा पता
 (टेलीफोन नंबर)
- (2) भूमि / परिसर / संस्था / कारखाना
 उद्योग/स्थानीय निकाय का पूरा नाम तथा पता
 (टेलीफोन नंबर)
 (तार का पता)
- (3) उस भूमि / परिसर का जिसके लिए आवेदन जिला
 किया गया है, राजस्व नगर नगर सर्वेक्षण क्रमांक तालुका
 तथा जिले / तालुके और ग्राम का नाम दीजिये. शहर
 ग्राम
 नगर सर्वेक्षण क्र.
 हैक्टयर में क्षेत्रफल
 राजस्व सर्वेक्षण क्र.
 हैक्टयर में क्षेत्रफल
- (4) वह मास तथा वर्ष लिखियें जिसमें भूमि/परिसर/
 संस्थान / कारखाना / उद्योग को वास्तव में चालू
 किया गया था या चालू किया जाना प्रस्तावित है
 या वह मास तथा वर्ष बतलाइये जबसे स्थानीय
 निकाय कार्य कर रहा है?
- (5) उस सिविल/सैनिक/प्रतिरक्षा औद्योगिक कलेक्टर कार्यालय
 संपदा का नाम लिखिये जिसको प्रशासनिक निगम
 अधिकारिता के अधीन आवेदक की भूमि/ नगरपालिका ..
 परिसर स्थित है. ग्राम पंचायत
 छावनी
 प्रतिरक्षा विभाग
 पत्तन्यास
 राज्य शासन
 प्रतिबद्ध क्षेत्र
- (6) (क) यह कथन कीजिये कि क्या भूमि/ हां/ नहीं.
 परिसर/ संस्थान / कारखाना / उद्योग प्रतिषिद्ध
 क्षेत्र घोषित किया गया है ?

(ख) यदि किया गया हो तो उस प्राधिकारी का नाम दीजिए तथा उस आदेश की प्रमाणित प्रति दीजिए जिसके अधीन वह क्षेत्र प्रतिषिद्ध क्षेत्र घोषित किया गया है.

(7) क्या उद्योग / कारखाना जिसके लिये आवेदन हां/नहीं किया गया है रविवार / अवकाश के दिन बंद होता है.

(8) उद्योग कारखाने का प्रति वर्ष का कार्य का मौसम लिखिये.

पूर्ण वर्ष

.....से.....तक
.....से.....तक
.....से.....तक

प्रतिवर्ष

(9) (क) कारखाने में हाजिर होने वाले कर्मचारों की संख्या

पारी क्र. 1 घंटे	पारी क्र. 2 घंटे	पारी क्र. 3 घंटे	सामान्य पारी घंटे
------------------------	------------------------	------------------------	----------------------

(ख) परिसरों में रहने वाले कर्मचारों की संख्या

(10) (केवल स्थानीय निकायों के लिये)

(क) वर्तमान जनसंख्या

(ख) कितनी जनसंख्या के लिये नियमित मल अपवहन उपलब्ध है ?

(ग) कितनी जनसंख्या के लिये मल सफाई शौचालय उपलब्ध है.

(घ) कितनी जनसंख्या के लिये मल गत (सेप्टिकटैंक) (पिटप्रिवी) सुविधाएं उपलब्ध है?

(11) (क) कच्चे माल जैसे धातुओं, मिश्र धातुओं रसायनों, तेलों, ईंधनों आदि का प्रतिमाह मीट्रिक टन में उपयोग दर्शाने वाली सूची दीजिये:—

धातु	तथा मिश्र धातु	नाम/भार
रसायन	अकार्बनिक कार्बनिक	रंजक कीटनाशी नाम / भार
तेल तथा ग्रीज		नाम / भार
ईंधन	(क) लकड़ी	नाम / भार
	(ख) कोयला	नाम / भार

(ग) तेल	नाम/भार
(घ) गैस	नाम/भार
(ङ) अन्य	नाम/भार

(ख) प्रतिमाह विनिर्मित अनुपात: उत्पादों तथा उप उत्पादों के नाम अनुक्रमांक की सूची दीजिये.

उत्पादों का नाम/
प्रतिमाह मीटरिक
टन में मात्रा.

(ग) संभाव्य अन्तर्वर्ती उत्पादों की सूची दीजिये.

उपयोग

(12) उपयोग में लाए जाने वाले जल की दैनिक मात्रा लिटर में दीजिये.

(घरेलू/औद्योगिक/
कृषि/ अन्य).

(13) (अ) जिस भूमि / परिसर के लिये आवेदन किया गया हो उससे उद्भूत होने वाले निस्त्रावों की प्रति घंटा अधिकतम मात्रा

(लिटरों में)

(प्रति घंटा अधिकतम / प्रतिदिन अधिकतम).

तथा दैनिक अधिकतम मात्रा दीजिये.

(क) घरेलू.

(ख) औद्योगिक.

(ग) कृषि.

(घ) अन्य उपयोग.

(ङ) निस्त्राविकी कुल मात्रा.

(आ) यह बताइए कि दर तथा मात्रा के माप किस प्रकार लिये जाते हैं?

(14) यह बताइए कि क्या बरसाती पानी की नालियां औद्योगिक/घरेलू निस्त्रावों से पृथक् रखी गई हैं

हां/नहीं.

(15) (क) क्या घरेलू निस्त्राव को औद्योगिक निस्त्राव में मिलने दिया जाता है.

हां/नहीं.

(ख) यदि हां तो उसका अनुपात बताइए

घरेलू / औद्योगिक.

(16) (क) क्या औद्योगिक या घरेलू निस्त्राव का कोई शोधन किया जाता है या मिश्रित निस्त्राव का कोई शोधन किया जाता है.

यदि उत्तर हां में हो तो शोधन की प्रक्रिया (पृथक् से) संक्षेप में दर्शित कीजिये.

(ख) क्या शोधन के बिना या शोधन के पश्चात् निकलने वाली मात्रा को किसी प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया जाता है

हां/नहीं.

(ग) यदि अनुमोदित किया जाता है तो प्राधिकारी का नाम प्रस्तुत कीजिये. दो प्रभावित प्रतियां भेजी जायें.

(16) (अ) क्या किसी दुकान/दुकानों से निकलने वाला निस्त्राव विषैला है? यदि है तो इस निस्त्राव का परिणाम क्या है?

(१७) क्या निम्नलिखित के निस्तारण के लिये कोई पहले से किया गया व्यवस्थाएं हैं.

जो किए जाने

के लिये प्रस्तावित है

(क) सार्वजनिक भूमिगत मल नाली (सीवर) में घरेलू निस्त्राव.

हां/नहीं

हां/नहीं

(ख) सार्वजनिक भूमिगत मल नाली (सीवर) में औद्योगिक निस्त्राव.

हां/नहीं.

हां/नहीं

(ग) मल नाली (सीवर) जिस लोकप्राधिकारी की हो उसका नाम दीजिए.

१८. निम्नलिखित के निस्तारण के लिये कोई व्यवस्था है.

पहले से की जा चुकी है.

की जाने के लिये प्रस्तावित है.

(क) सिंचाई के लिये स्थलिय घरेलू निस्त्राव

हां/नहीं

हां/नहीं

(ख) सिंचाई के लिये स्थलिय औद्योगिक निस्त्राव

हां/नहीं

हां/नहीं

(ग) भूमिगत स्तर में घरेलू निस्त्राव

हां/ नहीं

हां/नहीं

(घ) उपर्युक्त (क) के लिये प्रयुक्त भूमि हैक्टेयरों में दर्शित कीजिये.

(ङ) उपर्युक्त (ख) के लिये प्रयुक्त भूमि हैक्टेयरों में दर्शित कीजिये.

१९. नीचे उल्लिखित स्थानों के लिये व्यवस्थित निस्त्राव के अपवहन को मात्रा लिटरों में दीजिये.

घरेलू/औद्योगिक मिश्रित

(एक) सरिता/नदी.

(दो) सिंचाई के लिये भूमि पर.

(तीन) रिसन के लिये भूमि पर.

(चार) झील/तालाब.

(पांच) ज्वालिय जल.

(छ) ज्वारनद मुखी जल.

(सात) खुला समुद्र.

२०. प्रतिकूल सरिता या ज्वारीय अवस्था में निस्त्रावों के संग्रहण के लिये टैंकों के लिये पश्चजल (लैगून) को बराबर करने या भरने के लिए क्या कोई व्यवस्था है। पहले से किया गया जो किये जाने के लिये प्रस्तावित है।

(एक) घरेलू निस्त्राव.

(दो) औद्योगिक निस्त्राव.

(तीन) मिश्रित निस्त्राव.

२१. यदि भूमियों पर पम्पन का विचार करना पड़े हां / नहीं

तो क्या पर्याप्त भूमि उपलब्ध है ? उपलब्ध की जा सकती है ?

२२. (एक) निम्नलिखित के संबंध में घरेलू / औद्योगिक / मिश्रित निस्त्रावों की संरचना में ब्यौरे दीजिए:—

शोधन के पूर्व	निस्त्राव		शोधन के पश्चात् निस्त्राव.		
अधिकतम निस्तारण पर	न्यूनतम निस्तारण पर	औसत निस्तारण पर	अधिकतम निस्तारण पर	न्यूनतम निस्तारण पर	औसत निस्तारण पर
(१)	(२)	(३)	(४)	(५)	(६)

(एक) पी. एच.

(दो) वर्ण यूनिट.

(तीन) तापमान से.

(चार) निर्लंबित ठोड पदार्थ.

(पांच) कुल मि. ग्रा. प्रति लिटर.

(ख) स्थिर मि. ग्रा. प्रति लिटर.

(ग) वाष्पशील मि. ग्रा. प्रति लिटर.

(घ) धुला हुआ ठोस पदार्थ.

(क) कुल मि. ग्रा. प्रति लिटर.

(ख) स्थिर मि. ग्रा. प्रति लिटर.

(ग) वाष्पशील मि. ग्रा. प्रति लिटर.

(घ) कुल वाष्पशील ठोस पदार्थ मि. ग्रा. प्रति लिटर.

(सात) अमोनिकल नाइट्रोजन (मि.ग्रा. प्रति लिटर)/एन.

(आठ) नाइट्रेट्स (मि.ग्रा.प्रति लिटर)/एन

(नौ) धुली हुई ऑक्सीजन मि.ग्रा. प्रति लिटर.

- (दस) बी.ओ.डी. ५ दिन २० डिग्री से. मि.ग्रा. प्रति लिटर.
 (ग्यारह) सी.ओ.डी.मि.ग्रा. प्रति लिटर.
 (बारह) तेल तथा ग्रीज मि.ग्रा. प्रति लिटर.
 (तेरह) क्लोराइड मि. ग्रा. प्रति लिटर (सी. आई. के रूप में).
 (चौदह) फास्फेट (पी) मि.ग्रा. प्रति लिटर.
 (पंद्रह) फेनोलिक यौगिक मि.ग्रा. प्रति लिटर.
 (फेनोल के रूप में).
 (सोलह) साइनाइड (सी एन के रूप में) मि.ग्रा. प्रति लिटर.
 (सत्रह) सल्फाइड (एस के रूप में) मि.ग्रा. प्रति लिटर.
 (अठारह) सल्फेट (एस. ओ. के रूप में) मि.ग्रा. प्रति लिटर.
 (उन्नीस) कीटनाशी औषधियां मि.ग्रा. प्रति लिटर.
 (बीस) कुल अवशिष्ट क्लोरीन (सी. एलट् के रूप में) मि.ग्रा. प्रति लिटर.
 (इक्कीस) फ्लोराइड एफ के रूप में कि. ग्रा. प्रति लिटर.
 (बाइस) बोरोन (बी के रूप में) कि.ग्रा. प्रति लिटर.
 (तेईस) अर्सेनिक (ए एस के रूप में) मि.ग्रा. प्रति लिटर.
 (चौबीस) बेरियम (बी.ए.के रूप में) मि. ग्रा. प्रति लिटर.
 (पच्चीस) प्रतिशत सोडियम.
 (छब्बीस) कैडमियम, (सी.डी.के रूप में) मि.ग्रा. प्रति लिटर.
 (सत्ताईस) तांबा (सी.यू.के रूप में) मि.ग्रा. प्रति लिटर.
 (अट्ठाईस) सीसा (पी.बी. के रूप में) मि. ग्रा. प्रति लिटर.
 (उन्तीस) क्रोमियम (क) सी. आर. के रूप में (मी. ग्रा. प्रति लिटर.
 (ख) पदसंयोजकता (ड्रेक्सा वेलेन्सी) (सी.आर. के रूप में) मि.ग्रा. प्रति लिटर).
 (तीस) पारद (एच. जी के रूप में) मि. ग्रा. प्रति लिटर.
 (इक्तीस) निकेल (एन. आइ. के रूप में) मि.ग्रा. प्रति लिटर.
 (बत्तीस) सिलीनियम (एस. इ. के रूप में) मि.ग्रा. प्रति लिटर.
 (तैंतीस) रजत (ए. जी. के रूप में) मि. ग्रा. प्रति लिटर.
 (चौंतीस) जस्त (जेड एन. के रूप में) मि. ग्रा. प्रति लिटर.
 (पैंतीस) कोई अन्य धातुएं मि. ग्रा. प्रति लिटर.
 (छत्तीस) कैल्शियम क्लोरोफार्म सत्व

(सैंतीस) नाशि कीटमार औषधियां मि.ग्रा. प्रति लिटर.

(अड़तीस) कोलाइरूपी जीव.

म. पी. एन प्रति १०० मि.लि. (मासिक औसत).

(उन्चालीस) अविषालु घटकों के लिये बायो ऐसे टी.

एल. ५० (१६ घंटे).

टिप्पण:—(१) किसी सक्षम प्रयोगशाला द्वारा किए गए प्रतिनिधि नमूनों के विश्लेषण के रिपोर्ट की एक प्रति प्रस्तुत कीजिए.

(२) उपर उल्लिखित पैरा मीटरों के अवधारण के लिये, मंडल द्वारा यथा अनुमोदित अवधारण पद्धतियों का अनुसरण किया जाएगा.

हां / नहीं

(२२) (ख) क्या निस्त्राव अविषालु है

हां / नहीं

(ग) यह बताइए कि क्या औद्योगिक निस्त्राव

(एक) दुर्गन्ध युक्त है?

हां / नहीं

(दो) क्षोभकर और / या हानिकारक है

हां / नहीं

(तीन) संक्षारक है

हां / नहीं

(चार) रंग युक्त है

हां / नहीं

(घ) क्या किसी समय उसमें अचानक कोई १०°

डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तापमान हो जाता है

(२३) (क) क्या अवशिष्ट जल के निम्नलिखित परीक्षण करने के लिये आवेदक के पास सुविधाय उपलब्ध है:—

(१) भौतिक

वर्तमान

प्रस्थापित

(२) रासायनिक

हां/नहीं

हां / नहीं

(३) जीवाणवीय

हां/नहीं

हां / नहीं

(४) आविषालुता पारक

हां/नहीं

हां / नहीं

(ख) यदि हां, तो उपस्कर के ब्यौरे दीजिए

(२४) जिस भूमि / परिसर आदि के लिये आवेदन किया

गया है वह क्या खुले है?

अत्यंत प्रदूषण द्रव्य

आविषालु कार्बनिक अकार्बनिक सूक्ष्म जैविकीय.

(क) शीतलन टैंक

(ख) मिश्रण टैंक

(ग) मिश्रण तालाब

(घ) मिश्रण कुएं हैं.

जिनमें अन्तर्विष्ट है

२५. ठोस अवशिष्टों के व्यौरे दीजिए:—

वर्णन

मात्रा संग्रहण
की पद्धति

अपवहन
की पद्धति.

मौसमी अवशिष्ट

अधिप्लावन

उचिष्ठ सामग्री

.....
हस्ताक्षर

आवेदक का नाम

और पता

की ओर से

फर्म का नाम तथा पता

.....

संलग्नक

निस्त्रवों के प्रक्रमचित्र

प्रारूप और उपाबंध को भरने के लिये स्पष्टीकारक टिप्पण

उपाबंध टिप्पण केवल उन मदों के लिये दिए गए हैं जिनके लिये स्पष्टीकरण वांछनीय समझा गया है.
अन्य मदें स्वयं स्पष्टीकारक हैं.

प्रारूप

(१) यहां भूमि/परिसर के स्वामी का नाम लिखिये, यदि वह आवेदक उद्योग या कारखाने से भिन्न है. यदि भूमि/ परिसर, कारखाना, उद्योग के हैं तो "स्वयं" लिखिए.

(२) यहां वह तारीख लिखिए जब तक सम्मति मांगी गई है.

(३) यहां नदी/ सरिता/ ज्वारीय जल/ समुद्र का, जो भी लागू हो, स्थानीय नाम लिखिये.

प्रारूप का उपाबंध.

"निकास" से अभिप्रेत है उस निस्त्राव के विसर्जन के लिये व्यवस्था जिसके लिये सम्मति मांगी गई है.

"विसर्जन" से अभिप्रेत है वह निस्त्राव जो निकास में से निकल रहा है.

"वर्तमान" से वह अभिप्रेत है जो सम्मति के लिये आवेदन करने के समय प्रवर्तन में है.

"नए" से वह अभिप्रेत है जो भविष्य में प्रवर्तन में लाया जाएगा.

"परिवर्तित" से वह अभिप्रेत है जो विसर्जन की मात्रा और / या स्वरूप में परिवर्तित विसर्जन की व्यवस्था और / या स्थल, आदि में परिवर्तन के कारण उपान्तरित किया गया है.

- मद १. यहां उस व्यक्ति का नाम दीजिये जो संस्था/ उद्योग/ कारखाना / स्थानीय निकास आदि के द्वारा उनके विधिक कामकाज को करने के लिये प्राधिकृत है.
- मद २. यहां संस्था/ कारखाना/ उद्योग आदि का रजिस्ट्रीकृत नाम दीजिए जिसके अधीन कारबार चलाया जाता है.
- मद ५. यहां संबंधित संस्था का नाम (जैसे कि लोक उद्यम ब्यूरो आदि) लिखिये, जिसके प्रशासनिक नियंत्रण में कारखाना / उद्योग आदि स्थापित किया गया है.
- मद ६. केवल उन क्षेत्रों को लागू है जो प्रतिशिद्ध क्षेत्र है, जैसे आर्डनेन्स कारखाना, टकसाल आदि.
- मद १३. (ख) निस्त्राव की प्रतिघंटा / दैनिक अधिकतम मात्रा के माप की पद्धति लिखिये जैसे कि प्रवाह मापी, बेन्दुरीमापी नोच सम्प मेजरमेन्ट या लगभग अनुमानित आदि.
- मद १६. (क) यदि निस्त्राव का शोधन किया जाता है तो पृथक्तः शोधन की पद्धति तथा शोधन प्रक्रिया का क्रमदर्शी आरेख लिखिये.
- मद १६. (ख) यहां "हां" लिखिये यदि किसी अन्य प्राधिकारी जैसे की स्थानीय निकाय या सरकारी विभाग ने पहिले ही शोधन करने या उसके बिना निस्त्राव के विसर्जन को, कारखाना/ उद्योग की स्थापना के समय अनुमोदित किया है.
- मद १६. यहां विभिन्न प्रकार के निस्त्राव की, जैसे घरेलू / औद्योगिक या मिश्रित आदि की मात्रा दीजिये, जो कि सरिता / नदी, भूमियों या समुद्र आदि में, जो भी लागू हो, जाने देने के लिये प्रस्थापित है.
- मद २२. (क) जो विश्लेषण दिया जाना है, उसके अंतर्गत उतने पैरा मीटर आएंगे जितने कि निस्त्राव में पाए जाने की आशा है. ? यदि कुछ पैरामीटर पाए जाने की आशा नहीं है तो कहिए कि लागू नहीं होते. यदि मदों के अधीन दिए गए पैरामीटरों से भिन्न किन्हीं पैरामीटरों के होने की आशा है तो उन्हें अंत में वर्णीत कीजिए. विश्लेषण घरेलू, औद्योगिक और मिश्रित निस्त्रावों के लिये अलग-अलग दिया जाएगा.
- मद २२. (ख) यहां विषावतता से वह अभिप्रेत है मानक पद्धतियों में दी गई प्रक्रिया के अनुसार, मछली पर जैव आमापन अध्ययन से स्थापित है.
- मद २४. यह मद अत्यन्त प्रदूषणकारी पदार्थों को लागू होने के लिये अभिप्रेत है, जो कि सामान्य-तया निस्त्रावों में नहीं पाए जाते हैं, किन्तु जिन पर परिसरों में कार्यवाही की जाने की अपेक्षा की जाती है और जो अकस्मात् निस्त्राव में बड़ी मात्रा में मिल सकते हैं.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

जी. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव.

No. 3881-XXXIII-75.—In exercise of the powers conferred by section 64 of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (No. 6 of 1974), the State Government, after consultation with the State Board for the Prevention and Control of Water Pollution, hereby makes the following rules, namely :—

RULES

1. Short Title and Commencement.—(i) These rules may be called the Water (Prevention and Control of Pollution) (Consent) Madhya Pradesh Rules, 1975.

(ii) They shall come into force with effect from the date of their publication in the "Madhya Pradesh Gazette".

2. Definitions.—In these rules, unless the context otherwise require,—

- (a) "Act" means the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (No. 6 of 1974) ;
- (b) "Board" means the Madhya Pradesh State Prevention and Control of Water Pollution Board, constituted under sub-section (1) of section 4 ;
- (c) "Section" means the section of the Act ;
- (d) "Chairman" means the Chairman of the Board ;
- (e) "Member-Secretary" means the Member-Secretary of the Board ;
- (f) "Member" means member of the Board nominated by the Government ;
- (g) "Consent" means the sanction of the authority of the Board for the discharge of the effluent ;
- (h) "Consent Fees" means the fees charged by the Board for the grant of Consent by the Board ;
- (i) "Investment" means the amount of capital invested by the industry on capital works including land, machinery and equipment ;
- (j) "Licence Fees" means the licensing fees required to be paid annually to the Board for the discharge of sewage or trade effluent into a stream or well.

3. Procedures.—Any person who is discharging sewage or trade effluent into the stream or well shall apply in the form appended to these Rules to the Secretary, Madhya Pradesh, State Prevention and Control of Water Pollution Board, Bhopal.

4. Prevention and Control by the Board.—(i) In the case of the existing industries the person/persons will make the application giving all particulars of his premises producing the effluent. The Act envisages such an application within 3 months of the constitution of the Board. This time limit may be extended by the Board from time to time according to exigencies.

(ii) In the case of improvements to the existing facilities the person/persons shall make an application for the Consent of the Board which will be deemed as a new application.

(iii) In the case of new discharges the person/persons shall submit the application giving the details of the manufacturing processes etc., indicated in the Consent forms along with appliances and designs of Waste Treatment facilities that are to be provided.

(iv) The application forms may be obtained from the office of the Madhya Pradesh State Prevention and Control of Water Pollution Board, Bhopal, on payment of Rs. 5 as application form fee.

(v) The application form should be duly accompanied by the prescribed consent fee as per following schedule :—

Industries having an investment of—

(1) more than Rs. 5 crores.	Rs. 15,000.
(2) more than Rs. 1 crore but less than Rs. 5 crores.	Rs. 7,500.
(3) more than Rs. 50 lakhs but less than Rs. 1 crore.	Rs. 3,500.
(4) more than Rs. 10 lakhs but less than Rs. 50 lakhs.	Rs. 1,000.
(5) more than Rs. 1 lakh but less than Rs. 10 lakhs.	Rs. 500.
(6) Minimum fee	Rs. 500.

(vi) On receipt of the application form by the Board, the Board will have a right to examine the proposed site or existing site and ask for any such details which may not have been elaborated in the application form.

(vii) The date on which complete information connected with application form has been received by the Board shall be the date of receipt of application form for calculating the period of 4 months for the purpose of sub-section (7) of section 25.

(viii) On examination by the Board, the consent will be granted to the applicant with or without any conditions in the form set out in the Schedule appended to these rules.

(ix) The applicant shall conform to the Consent given by the Board and abide by instructions that are given in the Consent.

(x) The applicant shall submit periodical information and other reports if so desired in the Consent of the Board.

(xi) Where Consent is given subject to the condition of providing measures by the applicant for treating the effluent to conform to the standard the applicant shall complete such requirements within the stipulated time.

5. Annual Renewal.—(1) The Board will have a right to revise its decision regarding the Consent.

(2) The Board may alter, modify or include any particular conditions in the Consent which has to be implemented by the applicant.

(3) In order to maintain a clean condition of the natural streams, the Board will have a right to inspect any premises and collect samples.

(4) The Board may also make surprise checks of premises and the applicant shall render all assistance desired for such officers authorised by the Board in the performance of the inspections.

(5) The applicant shall pay an annual licensing fees to the Board as per following schedule :—

A.—Industries having an investment of :—

(i) more than Rs. 5 crores	Rs. 5,000.
(ii) more than Rs. 1 crore but less than Rs. 5 crores.	Rs. 2,500.
(iii) more than Rs. 50 lakhs but less than Rs. 1 crore.	Rs. 1,000.
(iv) more than Rs. 10 lakhs but less than Rs. 50 lakhs.	Rs. 500.
(v) more than Rs. 1 lakh but less than Rs. 10 lakhs.	Rs. 250.
(vi) Minimum fee	Rs. 250.

B.—Annual licence fee and Consent fee chargeable from Local Bodies extracting water from natural resources and discharging effluent into streams shall be as under :—

(a) Municipal Corporation	Rs. 3,000.
(b) Class AA Municipalities	Rs. 2,000.
(c) Class A Municipalities	Rs. 1,000.
(d) Class B Municipalities	Rs. 500.
(e) Class C Municipalities	Rs. 250.
(f) Minimum fee	Rs. 250.

6. Inspections.—With a view to keeping a constant check on the quality of effluents discharged into the natural streams, the Board would keep continuous monitoring of samples at fixed points in the streams.

They may also make such surprise checks and inspections and the applicant shall render all assistance for such inspections.

7. Emergencies.—In case of emergencies when the water quality of the stream suddenly deteriorates the applicant shall co-operate with the Board and if necessary close down certain operations to prevent undue pollution in the streams as a temporary measure.

SCHEDULE

[See rule 4(Viii)]

OFFICE OF THE MADHYA PRADESH STATE PREVENTION AND
CONTROL OF WATER POLLUTION BOARD, 87 MALAVIYA
NAGAR, BHOPAL-3.

CONSENT FORM

No. /WPCB/ Bhopal, Dated the

Subject.—Consent to

for the discharge of effluent under section 25/26 of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974.

Reference.—Application No.
of
dated (expiry date

With reference to the above application for Consent to discharge effluent into the natural water courses under the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974, hereinafter referred to as the Act, is authorised by the State Board to discharge its industrial and other effluents arising out of their premises into the local stream/river/well in accordance with the general and special conditions as mentioned in the Annexure.

2. This Consent shall be valid for a period of 12 months only commencing from

Dated this day of 19

For and on behalf of the Madhya Pradesh State Prevention and Control of Water Pollution Board,

Seal

Member-Secretary.

Enclosure : Annexure

ANNEXURE

ENCLOSURE TO REFERENCE LETTER ISSUED TO

M/s
 VIDE CONSENT No.
/WPCB/75, DATED

A.—GENERAL CONDITIONS :

All discharges authorised shall be consistent with the terms and conditions of this Consent. Facility expansions, production increases, or process modifications which result in new or increased discharges of pollutants must be reported by submission of a new Consent application or if such new or increased discharge does not violate the effluent limitations specified in this Consent, by submission to the Board details of such new or increased discharges of pollutants in which case the Consent may be modified to specify effluent limitations for any pollutants not identified and limited herein, the discharge or any pollutant more frequently than or at a level in excess of that identified and authorised by this Consent shall constitute a violation of the terms and conditions of this Consent.

2. After notice and opportunity for the hearing, this consent may be modified, suspended or revoked by the Board in whole or in part during its term for cause including, but not limited to, the following :—

- (a) Violation of any terms and conditions of this Consent ;
- (b) Obtaining this Consent by misrepresentation or failure to disclose fully all relevant facts ;
- (c) A change in any condition that requires temporary or permanent reduction or elimination of the authorised discharge.

3. Notwithstanding para (2) above, if a toxic effluent standard or prohibition (including any schedule of compliance specified in such effluent standard or prohibition) is established for a toxic pollutant which is present in the discharge authorised herein and such standard or prohibition is more stringent than any limitation upon such pollutant in this consent, the Consent shall be revised or modified in accordance with the toxic effluent standard or prohibition that the Board may consider and the applicant shall be so notified.

4. The applicant shall allow the staff of the Madhya Pradesh State Prevention and Control of Water Pollution Board, and/or their authorised representatives, upon the representation of credentials :

- (a) To enter upon the applicant's premises where an effluent source is located or in which any records are required to be kept under the terms and conditions of this Consent ;

- (b) To have access to and copy at reasonable times any records required to be kept under the terms and conditions of this Consent ;
 - (c) To inspect at reasonable times any monitoring equipment or monitoring method required in this Consent ; or,
 - (d) To sample at reasonable times any discharge or pollutants.
5. The applicant shall at all times maintain in good working order and operate as efficiently as possible all treatment or control facilities or systems installed or used by him to achieve compliance with the terms and conditions of this Consent.
6. The issuance of this Consent does not convey any property rights in either real or personal property, or any exclusive privileges, nor does it authorise any injury to private property or any invasion of personal rights, nor any infringement of Central, State or local laws or regulations.
7. This Consent does not authorise or approve the construction of any physical structures or facilities or the undertaking of any work in any natural water course.
8. The specific effluent limitations and other pollution controls applicable to the discharge permitted herein are set forth below in specific conditions. Also set forth below are self-monitoring and reporting requirements. Unless otherwise specified, the applicant shall submit duplicate original copies of all reports to the Madhya Pradesh State Prevention and Control of Water Pollution Board. Except for data determined to be confidential, all such reports shall be available for public inspection at the office of the Madhya Pradesh State Prevention and Control of Water Pollution Board. Knowingly making any false statement on any such report may result in the imposition of criminal penalties as provided for in section 42 of the Act.

B. SPECIAL CONDITIONS :

1. Initial Effluent limitations.—During the period beginning on the effective date of his consent and lasting until discharge from outfalls shall be limited and monitored by the applicant as specified below :

- (a) The following shall be limited and monitored by the applicant as specified :

EFFLUENT CHARACTERISTICS		DISCHARGE LIMITATION		MONITORING REQUIREMENT	
		AVERAGE	MAXIMUM	Frequency of Measure-	Type of Sample
		Mg/l	Kgs/day	Mg/l	Kgs/day
				ment. *	+

* Daily / Weekly / Monthly / Trimonthly

+ Grab / 24 Hour. Composite.

In addition to above, discharge shall be limited and monitored as specified below:

EFFLUENT CHARACTERISTICS		DISCHARGE LIMITATION		MONITORING REQUIREMENTS	
		AVERAGE	MAXIMUM	Frequency type of	
		Mg/l	Kgs/day	Mg/l	Kgs/day
				* Measurement	+ Sample

* Daily / Weekly / Monthly / Trimonthly

+ Grab / 24 hour. Composite.

For the purpose of this sub-section, the daily average discharge is the total discharge by weight during the calendar month divided by the number of days in a month the production or commercial facility was operating. For the purpose of this sub-section the daily maximum discharge means the total discharge by weight during any calendar day.

(b) The pH shall not be less than 5.5 or greater than 9.0

2. Final Effluent Limitation.—During the period beginning and lasting until the date of expiration of this Consent, discharge from the outfalls shall be limited and monitored by the applicant as specified below:

(a) The following shall be limited and monitored by the applicant as specified.

EFFLUENT CHARACTERISTICS		DISCHARGE LIMITATION		MONITORING REQUIREMENTS	
		AVERAGE	MAXIMUM	Frequency Type of	
		Mg/l	Kgs/day	Mg/l	Kgs/day
				* Measurement	+ Sample

* Daily/ Weekly/ Monthly/ Trimonthly

+ Grab/24 Hour. Composite.

Additionally, outfalls shall be monitored as follows :—

(i) Flow, Temperature and Total solids—one per month ;

Grab samples, Maximum discharge Temperature above upstream receiving water shall be in accordance with the standard of ISI at 40° F.

Uniform as per ISI 40°F.

The temperature shall be monitored once per month on each outfall. For the purposes of this sub-section, the daily average discharge is the total discharge by weight during the calendar month divided by the number of days in the month that the production or commercial facility was operating. For the purpose of this sub-section, the daily maximum discharge, means the total discharge by weight during any calendar day.

(b) The pH shall not be less than 5.5 or greater than 9.0 for outfalls. The samples are taken as monthly, grab samples.

3. Schedule of Compliance for Effluent Limitations.—The applicant shall achieve compliance with the effluent limitations specified above for discharge from outfalls in accordance with the following schedule :—

- (i) Report of Progress ;
- (ii) Completion of final plans by ;
- (iii) Award of contract or other commitment of financing ;
- (iv) Commencement of construction by ;
- (v) Report of construction progress ;
- (vi) Completion of construction by ;
- (vii) Attainment of operational level by ;

(b) The applicant shall submit to the Consent Issuing Authority the required report of progress or where a specific action is required in (a) above to be taken by a certain date, a written notice of compliance or non-compliance with each of the above scheduled dates, post marked on later than 14 days following each elapsed date. Each notice of non-compliance shall include the following information :—

- (1) A short description of the non-compliance ;
- (2) A description of any action taken or proposed by the applicant to comply with the elapsed scheduled requirement without further delay ;
- (3) A description of any factors which tend to explain or mitigate the non-compliance ; and

- (4) An estimate of the date, the applicant will comply with the elapsed schedule requirement and assessment of the possibility that the applicant will meet the next scheduled requirement in time.

4. Compilation of Monitoring Data.—(a) Samples and measurements taken to meet the monitoring requirements specified above shall be representative of the volume and nature of monitored discharge.

(b) Following promulgation of guidelines establishing test procedures for the analysis of pollutants, all sampling and analytical methods used to meet the monitoring requirements specified above shall conform to such guidelines. Unless otherwise specified sampling and analytical methods shall conform to the latest edition of the Indian Standard specifications and where it is not specified the guidelines as per standard methods for the examination of Water and Waste Waters 18th Edition of the American Public Health Association, New York, U.S.A. shall be used.

(c) The applicant shall take samples and measurement to meet the monthly requirements specified above at the location indicated below:

Point of sampling :

(i) Outfalls of waste.

(ii) 100 meter from point of confluence, down stream river or lake.

5. Recording of Monitoring activities and Results.—(a) The applicant shall make and maintain records of all information resulting from monitoring activities required by this Consent.

(b) The applicant shall record for each measurement or samples taken pursuant to the requirements of this consent the following information :—

- (1) the date, exact place and time of sampling ;
- (2) the dates on which analysis were performed ;
- (3) who performed the analysis ;
- (4) the analytical techniques or methods used ; and
- (5) the results of all required analysis.

(c) If the applicant monitors any pollutant more frequently as is required by this Consent he shall include the results of such monitoring in the calculation and reporting of values required in the discharge monitoring reports which may be prescribed by the Board. Such increased frequency shall be indicated on the Discharge Monitoring Report Form.

(d) The applicant shall retain for a minimum of 3 years all records of monitoring activities and results including all records of calibration and maintenance of instrumentation and original strip chart regarding from continuous monitoring instrumentation. This period of retention shall be extended during the course of any unresolved litigation regarding the discharge of pollutants by the applicant or when requested by the Central or State Board.

6. Reporting of Monitoring Results.—(a) Monitoring information required by this Consent shall be summarised and reported by submitting a Discharge Monitoring Report Form duly filled in and signed, to the Board's office at the following address :—

“Madhya Pradesh State Prevention and Control of Water Pollution Board,

87, Malviya Nagar,

Bhopal-3 (Pin No. 462 003)”

(b) Each submitted Discharge Monitoring Report shall be signed as follows :—

(i) If submitted by Corporation—by a Principal Executive Officer of at least the level of Vice-President or his duly authorised representative, if such representative is responsible for the overall operation of the facility from which in discharge described in the discharge Monitoring Report originates.

(ii) If submitted by a partnership, by a general partner,

(iii) If submitted by a sole proprietor, by the proprietor,

(iv) If submitted by a Municipal, State or Central Government or other public enterprise, by a principal Executive Officer, ranking elected official, commanding officer, or other duly authorised employee.

(c) All information submitted on the Discharge Monitoring Form shall be based upon measurements and sampling carried out during the three previous calendar months. The first Discharge Monitoring Report shall be submitted for a period ending 60 days from issuance. Thereafter, reporting periods shall end on the last date of each month. The applicant shall submit a Discharge Monitoring Report post marked no later than 28th day of the month following each completed reporting period.

7. Limitation of Discharge of Oil and Hazardous Substances in harmful quantities :—The applicant shall not discharge oil in quantities defined as harmful in regulations. In addition, the applicant shall not discharge hazardous substances into natural water course in quantities defined as harmful in regulations promulgated by the Board. Nothing in this Consent shall be deemed to preclude the institution of any legal action nor relieve the applicant from any responsibilities, liabilities or penalties to which the applicant is or may be subject to clauses.

8. Limitation of Visible Floating Solids and Foam.—During the period beginning 'date of issuance' and lasting until the date of expiration of this Consent the applicant shall not discharge floating solids or visible foam.

9. Disposal of Collected Solids.—(a) *Intake Water Treatment.*—Solids, Sludges, dirt, silt or other pollutants separated from or resulting from treatment of intake or supply water period to use by the applicant shall be disposed of in such a manner as to prevent any pollutant from such materials from entering any such water. Any live fish, shell fish or other animals collected or trapped as a result of intake water screening or treatment may be returned to water body habitat.

(b) *Waste Water Treatment.*—Solids, sludges, filter, backwash or other pollutant removed from or resulting from treatment or control of waste waters shall be disposed of in such a manner as to prevent any pollutants from such materials from entering natural water.

10. Non-compliance with Effluent Limitations.—(a) If for any reason the applicant does not comply with or will be unable to comply with any daily maximum effluent limitations specified in this Consent, the applicant shall immediately notify the Consent issuing authority or his designee by telephone No. Bhopal 62143/or 62167 and provide the Consent Issuing Authority with the following information in writing within 5 days of such notification :—

- (a) Cause of non-compliance ;
- (b) A description of the non-complying discharge including its impact upon the receiving waters ;
- (c) anticipated time the condition of non-compliance is expected to continue or if such condition has been corrected, the duration of period of non-compliance ;
- (d) Steps taken by the applicant to reduce and eliminate the non-complying discharge; and
- (e) Steps to be taken by the applicant to prevent recurrence of condition of non-compliance.

(b) The applicant shall take all reasonable steps to minimise any adverse impact to natural waters resulting from non-compliance with any effluent limitation specified in his Consent including such accelerated or additional monitoring as necessary to determine the nature and impact of the non-complying discharge.

(c) Nothing in this Consent shall be construed to relieve the applicant from civil or criminal penalties for non-compliance, whether or not such non-compliance is due to factors beyond its control, such as equipment break-down, electric power failure, accident, or natural disaster.

11. Limitation of Batch Discharges :

SPECIAL CONDITIONS

12. Provision for Electric Power Failure.—The applicant shall either,

- (a) no later than certify in writing to the consent issuing authority that the applicant has installed or provided for an alternate electric power sources sufficient to operate all facilities utilized by the applicant to maintain compliance with the terms and conditions of the Consent ; or
- (b) no later than 30 days after the effective date of this Consent, certify in writing to the consent issuing authority that upon the reduction, loss, or failure of one or more of the primary sources of electric power to any facilities utilised by the applicant to maintain compliance with the terms and conditions of this consent, the applicant shall halt reduce or otherwise Control production and/or all discharges in order to maintain compliance with the terms and conditions of this Consent.

13. Prohibition of By-pass of Treatment Facilities.—The diversion of by pass of any discharge from facilities utilised by the applicant to maintain compliance with the terms and conditions of this Consent is prohibited except.—

- (i) where unavoidable to prevent loss of life or severe property damage, or
- (ii) where excessive storm drainage or runoff would damage any facilities necessary for compliance with the terms and conditions of this Consent. The applicant shall immediately notify the consent issuing authority in writing of each such diversion or bypass in accordance with the procedure specified above for reporting non-compliance.

14. Spill Prevention and Containment Plan.—Within 90 days of the effective date of this Consent the applicant shall prepare and submit to the consent issuing authority, a Spill Prevention, containment, and Countermeasure Plan for the facility covered by this Consent. Such plan shall include the following information and procedures relating to the prevention of spills and unauthorised discharges of oil and hazardous substances :—

- (a) a description of a reporting system to be used to notify immediately persons responsible for management of the facility and appropriate State and Central authorities ;
- (b) a description of equipment or facilities (including overall facility) for the prevention, containment, or treatment of spills and unauthorised discharges ;

- (c) a list of all oil and hazardous materials used, processed or stored at the facility including the normal quantity maintained on the premises for each listed material ;
- (d) a brief description of any spills or unauthorised discharges which occurred during the 36 months period preceding the effective date of this Consent and subsequent measures taken by the applicant to prevent or reduce the possibility of further spills or unauthorised discharges ; and
- (e) an implementation schedule for additional equipment or facilities which might be required for sub para (b) above but which are not yet operational.

15. Interim Effluent Requirements.—This Consent and the authorisation to discharge shall expire on midnight of the applicant shall not discharge after the date of expiration, the applicant shall submit such information, forms and fees as required by the Board not later than 180 days prior to the above date of expiration.

By authority of Madhya Pradesh State Prevention and Control of Water
Pollution Board, Bhopal,
Member-Secretary.

FORM

(To be submitted in triplicate)

Application for Consent for discharge/continuation of discharge under section 25/26 of the Act.

(See rule 3)

Date

From :

To,

The Member-Secretary,
Madhya Pradesh State Prevention and Control of Water Pollution
Board,
BHOPAL.

Sir,

I/we apply for CONSENT under Section 25/Section 26 of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (6 of 1974)* to bring into use any new or altered outlet for the discharge of *sewage/trade

effluent* to being to make new discharge of *sewage/trade effluent or
 *continue to make discharge of sewage/trade effluent from land/premises
 owned by (1) for a period upto (2)

(a) Sewage/Sullage *via* drains/outfall sewers/treatment works.

(b) Trade effluent *via* drains/outfall sewers/treatment works.

(c) Solid wastes into (3).

(i) Stream /River OR

(ii) On land for irrigation bearing Survey No.
 adjoining/at a distance of stream
 RIVER OR

(iii) Lake, Pond adjoining/at a distance of stream/River OR

(iv) Directly on land for open percolation into sub-terranean
 strata of Survey No. adjoining/at
 a distance of stream/River OR

(v) Tidal waters estuarine waters known as OR

(vi) Sea along/off the shore shown as.

2. The annexure, appendices other particulars and plans in
 triplicate are attached herewith.

3. I/We further declare that the information furnished in the
 Annexure, appendices, and plans is correct to the best of my/our
 knowledge.

4. I/We hereby submit that in case of change either of the point or
 the quantity of discharge or its quality, a fresh application for
 CONSENT shall be made and until such CONSENT is granted no
 change shall be made.

5. I/we hereby agree to submit to the State Board an application
 for renewal of consent one month in advance of the date of expiry of the
 consented period for outlet/discharge, if to be continued thereafter.

6. I we undertake to furnish any other information within one month
 of its being called by the State Board.

Yours faithfully,

Accompaniments :—

*Note-Strike out entries not relevant.

Outlet/Discharge.

Singnature

Name of the applicant.

Address of Applicant.

**ANNEXURE TO FORM
EXISTING
NEW/ALTERED**

Note.—Any applicant knowingly giving incorrect information or suppressing any information pertaining thereto shall be liable to be punished under the Act.

While filling this Annexure the applicant not concerned with any of the item shall state "Not concerned" against the relevant one.—

1. Full name of applicant with
address.
(Tel. No.)
(Telegraphic address)
2. Full name of land/premises/-
institute/factory/Industry/local
body; with address.
(Tel. No.)
(Telegraphic address)
3. Give revenue/city survey num- District
ber of land/premises for which Taluka.
the applicant is made stating Town.
District, Taluka and Village. Village.
City Survey No./Mauza No.
Area in Hectares.
Revenue Survey No.
Area in Hectares.
4. State month and year in which
the land/premises/institute/-
factory/industry was actually
put into commission or is pro-
posed to be put into commi-
sion or the month and year
from which the local Body is
functioning.
5. State the Civil/Military/-
Defence/Industrial Estate etc.
under whose administrative
jurisdiction the applicant's
land/premises is situated. Collectorate.
Corporation.
Municipality.
Village Panchayat.
Cantonment.
Defence Department.
Port Trust.
State Government.
Prohibited Area.

6. (a) State whether the land/- YES/NO

Premises/institute/factory/-

premises/institute/factory/-

industry has been declared as

prohibited areas.

7. (b) If yes, state the name of

the authority and furnish a

certified copy of the order

under which the area has been

declared as prohibited areas.

7. Is the industry/factory for YES/NO

which application is made

closed on Sunday/Holiday.

Full year

8. State working season per year

From

to

for the industry/factory.

From

to

From

to

From

to

..... every year.

9. (a) No. of workers attending

the factory :

Shift No. 1

Shift No. 2

Hrs.

Hrs.

Shift No. 2

General Shift

Hrs.

Hrs.

(b) No. of workers residing in

the premises.

10. (For local Bodies only)

(a) Present population:

(b) Population covered under
regular sewerage facilities.

(c) Population covered by con-
servancy latrines.

(d) Population having septic
tank/pit privy facilities.

11. (a) Give the list of new materials such as metals, alloys, Chemicals, oils, fuels, etc. used per month in Metric Tons:—

Metal and Alloy	Name/Weight
Chemicals <u>Inorganic</u> Dyes	Name/Weight
Organic Pesticides	
Oils and Grease	Name/Weight
Fuels: (a) Wood	Name/Weight
(b) Coal	Name/Weight
(c) Oil	Name/Weight
(d) Gases	Name/Weight
(e) Other	Name/Weight

- (b) Give the list of Name of Products and by-products manufactured per month in (MT) S. No./Name of Products/Qnt. in Mt. per month.

- (c) Give the list of possible intermediate products.

12. State daily quantity of water in litres Utilised.

USES

(Domestic/Industrial/Agriculture/
Other)

13. (A) State the hourly maximum and daily maximum quantity of effluents arising from land/premises for which the application is made.

(In litres)

(Hourly Maximum/Daily Maximum).

- (a) Domestic
(b) Industrial
(c) Agricultural
(d) Other use

- (e) Total quantity of effluent

- (B) State how measurements of rate and quantity are carried out :

14. State whether storm water drains are kept separate from Industrial/Domestic effluents? Yes/No
15. (a) Is domestic effluent allowed to get mixed in industrial effluent? Yes/No
- (b) If, yes, state ratio Domestic/Industrial
16. (a) Describe if any treatment industrial of domestic effluent or one for combined effluent is made. Yes/No
- If yes, state the process of treatment in brief (separately).
- (b) Is the quality of effluent emanating either without or after treatment approved by any authority? Yes/No
- (c) If approved, furnish the authority (Two certified copies to be sent)
16. (a) Is any effluent from any shop/Shops toxic? so, volume of this effluent.
17. Is there any provision for disposal of? Already made
Proposed to be made
- (a) Domestic effluent in public under-ground sewer Yes/No
- (b) Industrial effluent in public underground sewer. Yes/No
- (c) Give the name public authority owning the sewer.
18. Is there any provision for disposal of? Already made
Proposed to be made
- (a) Domestic effluent overland for Irrigation. Yes/No
- (a) Industrial effluent overland for Irrigation. Yes/No
- (c) Domestic effluent in the underground strata. Yes/No
- (d) State the area of land used for (a) above in hectares.
- (e) State the area of land used for (b) above in hectares.

19. Give the quantitative disposal of effluent in litres provided for the places mentioned below—

Domestic Industrial Mixed

- (i) Stream/River
- (ii) On lands for irrigation
- (iii) On land for percolation
- (iv) Lake/Pond
- (v) Tidal waters
- (vi) Estuarine water
- (vii) Open sea.

20. Is there any provision for equalizing or holding lagoons for tanks to store the effluents during unfavourable stream or tidal conditions.

Already made Proposed to made

- (i) Domestic effluent
- (ii) Industrial effluent
- (iii) Combined effluent.

21. Is sufficient land available/ Yes/No
can be made available?
in case pumping effluent; on lands have
combined.

22. (a) Give details of composition of Domestic/Industrial/ Combined effluents in respect of the following:—

Effluent before treatment			Effluent after treatment		
At.	At.	At.	At.	At.	At.
Max.	Min.	Ave.	Max.	Min.	Ave.
Dis.	Dis.	Dis.	Dis.	Dis.	Dis.
1	2	3	1	2	3

- (i) pH
- (ii) Colour-Units.
- (iii) Temperature *C
- (iv) Suspended solids
- (a) Total mg/l

- (b) Fixed mg/1
- (c) Volatile mg/1.
- (v) Dissolved Solids
 - (a) Total mg/1.
 - (b) Fixed mg/1.
 - (c) Volatile mg/1
- (vi) Total Volatile solids mg/1.
- (vii) Ammoniacal Nitrogen (mg/1) N.
- (viii) Nitrates (mg/1.) N.
- (ix) Dissolved Oxygen mg/1.
- (x) B.O.D. 5 days 20°C mg/1.
- (xi) C.O.D. mg/1.
- (xii) Oil and Greases mg/1.
- (xiii) Chloride mg/1. (as Cl)
- (xiv) Phosphates (P) mg/1.
- (xv) Phenolic compounds mg/1. (as Phenol).
- (xvi) Cyanides (as CN) mg/1.
- (xviii) Sulphates, as S_4 , mg/1.
- (xviii) Sulphates, as SO_2 , mg/1.
- (xix) Insecticides mg/1.
- (xx) Total residual chlorine (as Cl_2), mg/1.
- (xxi) Flouride (as F), mg/1.
- (xxii) Boron (as B) mg/1.
- (xxiii) Arsenic (as As) mg/1.
- (xxiv) Barium (as Ba) mg/1.
- (xxv) percent Sodium
- (xxvi) Cadmium (as Cd) mg/1.
- (xxvii) Copper (as Cu) mg/1.
- (xxiii) Lead (as Pb) mg/1.
- (xxix) Chromium—
 - (a) as Cr. (mg/1.).
 - (b) Hexa-Valency (as Cr) mg/1.
- (xxx) Mercury (as Hg) mg/1.
- (xxxi) Nickel (as Ni) mg/1.
- (xxxii) Selenium (as Se) mg/1.
- (xxxiii) Silver (as Ag) mg/1.
- (xxxiv) Zinc (as Zn) mg/1.
- (xxxv) Any other metals, mg/1.
- (xxxvi) Calcium Chloroform Extracts.

(xxxvii) Pesticides (mg/l.).

(xxxviii) Coliform organisms.

MPN per 100 ml (monthly average).

(xxxix) Bioassay for Toxic constituents. TL 50 (96 hours).

Note.—(1) Furnish a copy of the analysis report of representative samples carried out by a competent laboratory.

(2) Methods of determination as approved by the Board will be followed for determination of above mentioned parameten.

(b) Is the effluent toxic ? Yes/No

(c) State if the industrial effluent is having—

(i) Unpleasant smell Yes/No

(ii) Irritating and/or harmful Yes/No

(iii) Corrosive Yes/No

(iv) With colour Yes/No

(d) Is there any sudden change of temperature exceeding 10° at any time.

23. (a) Are facilities available with the applicant for carrying out the following tests of the waste waters.

	Existing	Proposed
(i) Physical	Yes/No	Yes/No
(ii) Chemical	Yes/No	Yes/No
(iii) Bacteriological	Yes/No	Yes/No
(iv) Toxicological	Yes/No	Yes/No

(b) If yes, details of equipment

24. Has the Land/premises, etc. for which application is made, open ?

Highly polluting matter

Toxic	Organic	Inorganic	Microbiological.
-------	---------	-----------	------------------

(a) Cooling Tanks which

(b) Mixing Tanks contain

(c) Mixing Ponds

(d) Rs-circulation wells

25. State details for solids Des. Quant. Method method of
wastes of
Seasonal waste. collection disposal
Spillage.

Rejected materials

Signature

Name and add. of the applicant on behalf
of

Name and add. of the firm

Accompaniments.

Flow sheet of effluents.

EXPLANATORY NOTES FOR FILLING IN FORM AND THE ANNEXURE

The notes are given only for those items for which explanation is considered desirable. Other items are self explanatory.

Form

(1) Here mention the name of the owner of the land/premises in other than the applicant industry or factory. If the land/premises belongs to the factory/industry, say self.

(2) Here mention the date up to which the consent is sought for.

(3) Here mention the local name of the river/stream tidal water sea as may be applicable Annexure to Form.—

“Outlet” means the arrangement for discharge of the effluent for which the consent is sought for.

“Discharge” means the effluent going out of the outlet.

“Existing” means that which is in operation at the time of applying for consent.

“New” means that which will be brought into operation in future.

“Altered” means that which has been modified due to change in quantity and/or quality of discharge, arrangement and or point of discharge etc.

Item 1: Here give the name of the person who is authorised by the Institution/Industry/Factory/Local Body etc., to transact their legal business.

Item 2: Here give the registered name of the Institution/Factory/Industry etc., under which the business is carried out.

- Item 5 : Here state the concerned institution such as Bureau of Public Enterprises, under whose administrative control the Factory/Industry etc., is set up.
- Item 6 : Applicable to only those areas which are prohibit areas, such as the Ordnance factories, Mint, etc.
- Item 13(B) : State the method of measurement of hourly/daily maximum quantity of effluent i.e., by flow meters, Venturi meters V notch sump measurements, or approximately estimated etc.
- Item 16(a) : If the effluent is treated, give separately the method of treatment and flow diagram of the treatment process.
- Item 16(b) : Here mention 'Yes' if any other authority such as the local body, or Government department has already approved the discharge of effluent either with or without treatment, at the time of establishment of the factory/industry.
- Item 19 : Here give the quantity of effluent of different types such as domestic, industrial or mixed etc., proposed to be or is let into the stream/river, lands, sea etc., as may be applicable.
- Item 22(a) : Analysis to be furnished shall cover as many Parameters as are expected to be found, in the effluent. If some of the parameters are not expected to be found, say not applicable. If some other parameters than those listed under the items are expected, the same may be mentioned at the end. The analysis shall be separately furnished for domestic/ industrial and combined effluents.
- 22(b) : Here toxicity means that which is established by bio-assay studies on fish, as per procedure given in the Standards methods.
- Item 24 : This item is meant to cover highly polluting substances which do not ordinarily find way in the effluents, but are required to be handled in the premises, and which may, by accident, join the effluent in large quantities.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
G. P. SHRIVASTAVA, Dy. Secy.

सहकारिता विभाग

भोपाल, दिनांक २६ दिसम्बर-१९७५.

क्र. ५-३१-७३-१-पन्द्रह.—शुद्धिपत्र.—“मध्यप्रदेश राजपत्र” दिनांक ५ दिसम्बर १९७५, भाग ४ (ग) में इस विभाग की अधिसूचना क्र. ५-३१-७३-१-पन्द्रह, द्वारा संपरीक्षा (आडिट) फीस के मान में जो संशोधित अनुसूची प्रकाशित हुई है, उसमें निम्नानुसार शुद्धिकृत संपरीक्षा (आडिट) फीस के मान कालम (३) में दर्शाये अनुसार पढ़े जायं :—

राजपत्र दिनांक ५-१२-७५ के पृष्ठ, अशुद्ध मुद्रित संपरीक्षा (आडिट) शुद्ध संपरीक्षा (आडिट) अनुसूची के भाग सोसायटी का वर्ग फीस के मान जो प्रकाशित हुये हैं फीस के मान जो एवं पंक्तियां जिनमें शुद्धिकरण पड़े जायं किया जाना है

(१)

(२)

(३)

पृष्ठ क्रमांक ८३१ चार विपणन समितियों की पंक्तियां १४ एवं १५

किन्तु प्राथमिक विपणन एवं प्रसंस्करण सोसायटी मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संपरीक्षा फीस क्रमशः रु. ५,०००) रु. ५०,०००) और रु. २५,००० प्रभारित की जावेगी.

किन्तु प्राथमिक विपणन एवं प्रसंस्करण सोसायटी म. प्र. राज्य सह. विपणन संघ और म. प्र. राज्य आदिवासी सह. विकास संघ पर अधिकतम संपरीक्षा फीस क्रमशः रु. ५,०००) रु. ५०,००० और रु. २५,००० प्रभारित की जावेगी.

पृष्ठ क्रमांक ८३४ सात-संसाधन सोसायटियों का भाग (५) की पंक्तियां क्र. ८ प्राथमिक साख सोसा. जिसमें सेवा सोसायटियां वृहत्ताकार सोसायटियां फसल, ऋण सोसायटियां, बीज संघ, बीज भंडार, ग्राम विकास संभायें और बहु प्रयोग सोसायटियां जो साख संबंधी कारोबार करती हो, सम्मिलित है.

५०,००० रुपये से अधिक कार्य-शील पूंजी पर संपरीक्षा फीस की दर १० पैसे प्रतिशत.

५०,००० रुपये से अधिक कार्यशील पूंजी पर संपरीक्षा फीस की दर १५ पैसे प्रतिशत.

पृष्ठ क्र. ८३५ सात-संसाधन सोसायटियों का भाग (६) का (ख) फी पंक्ति १ वैतनिक कर्मचारियों की सोसायटियां मितव्यय सोसायटियां एवं अन्य गैर कृषक साख सोसायटियां.

कार्यशील पूंजी के पहले रुपये ५००,००० रुपये पर.

कार्यशील पूंजी के पहले रु. ५०,००० रुपये पर.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रा. ला. गार्गव, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक २६ दिसम्बर १९७५.

क्र. ५-३१-७३-१-पन्द्रह.—भारत के संविधान के अनुच्छेद ३४८ के खण्ड (३) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. ५-३१-७३-१-पन्द्रह, दिनांक २६ दिसम्बर १९७५ का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रा. ला. गार्गव, उपसचिव.

Bhopal, the 26th December 1975.

No. 5-31-73-1-XV.—Corrigendum—In the revised schedule of Audit fee published in part 4 (G) of "Madhya Pradesh Gazette" dated 5th December, 1975 *vide* this Department Notification No. 5-31-73-I-XV, the correct scales of Audit fee should be read as shown in Column No. (3).

In Gazette dated 5-12-75 page No. schedule classi- fications of socs. and lines in which corrections are to be made	Incorrect scales of Audit Fee which are published	Correct scales of Audit Fee which are to be read
(1)	(2)	(3)

Page 838 4—Marketing Societies Lines 17 and 18 ..	Excepting Primary mar- keting cum Processing societies, M. P. State Coop. Marketing Fede- ration and Madhya Pradesh State Coop. Tribal Development Federation shall be Rs. 5,000, Rs. 50,000 and Rs. 25,000 res- pectively.	Excepting Primary Mar- keting cum Processing Societies, Madhya Pradesh State Coop. Marketing Federation and Madhya Pradesh State Coop. Tribal Development Fede- ration the maximum shall be Rs. 5,000 Rs. 50,000 and Rs. 25,000 respectively.
---	---	--

Page 841 VII Resource Societies part (5) line 8—Primary credit Societies including service societies, large size credit societies, Crop loan so- cieties, seed unions, seed stores, Gram Vikas Sabhas and Multi- purpose doing credit business etc.	Above Rs. 50,000 of work- ing capital at 10 paise percent	Above Rs. 50,000 of working capital at 15 paise percent.
---	---	--

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R. L. GARGAVA, Dy. Secy

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सासग्री, मध्यप्रदेश द्वारा, शासन कन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से
मुद्रित तथा प्रकाशित—१९७६.